

सं.एल-12015/3/2010-जीपी (भाग)  
भारत सरकार  
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

शास्त्री भवन, नई दिल्ली  
दिनांक: 5 जुलाई 2010

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओएनजीसी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, ओआईएल

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, गेल (इंडिया) लिमिटेड

**विषय: - राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एनओसी) द्वारा उत्पादित एपीएम प्राकृतिक गैस का मूल्य**

कृपया दिनांक 31.05.2010 के समसंख्यक पत्र द्वारा जारी एपीएम मूल्य-निर्धारण आदेश का संदर्भ लें जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया था कि एनओसी द्वारा 200 रुपए / एमएससीएम के विपणन मार्जिन को गैस का उत्पादन करने वाली विपणन कंपनी द्वारा ग्राहकों से लिया जाना चाहिए। इसके बाद, दिनांक 23.6.2010 का समसंख्यक पत्र जारी किया गया था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख किया गया है कि एनओसी द्वारा उत्पादित गैस की बिक्री पर विपणन मार्जिन उन मामलों में लिया जाएगा, जहां वे ग्राहकों को गैस सीधे बेच रहे हैं, अन्य मामलों में, गेल द्वारा विपणन मार्जिन का शुल्क लिया जाएगा।

ओएनजीसी ने अपने दिनांक 23.6.2010 के पत्र सं. ओएनजीसी / एमकेटीजी / एमओपीएनजी / 10(1)/2010-11 के माध्यम से सूचित किया है कि हालांकि यह वितरण और आपूर्ति के लिए गेल को बल्क में गैस की आपूर्ति करता है और गुजरात, केजी बेसिन और कावेरी बेसिन में छोटे ग्राहकों को सीधे आपूर्ति करता है, यह असम और गुजरात में विपणन के लिए क्रमशः मैसर्स असम गैस कंपनी लिमिटेड (एजीसीएल) और जीएसपीसी को अल्प मात्रा में आपूर्ति करता है। एतद्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे मामलों, जहां एनओसी द्वारा उत्पादित गैस का एजीसीएल और जीएसपीसी के माध्यम से विपणन किया जा रहा है, वहां उन्हें विपणन मार्जिन का भुगतान किया जाना चाहिए।

भवदीय,

हस्ता./-

(मनु श्रीवास्तव)

निदेशक

दूरभाष: 23381029

प्रतिलिपि:

- मैसर्स असम गैस कंपनी लिमिटेड
- मैसर्स गुजरात स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन

आंतरिक वितरण:-

संयुक्त सचिव (ई)